

Sixteenth Loksabha

an&gt;

Title: Introduction of High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2017

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam, I very sincerely apologise for not being present as I was in the other House.

I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.”

*The motion was adopted.*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : I introduce \*\* the Bill.

**माननीय अध्यक्ष :** आपको आगे से लेट नहीं होना है।

Shri Sukhbir Singh Jaunapurja Ji.

... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** आपका माइक ऑन नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

... (Interruptions)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): I oppose the introduction of the Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958. We have been fighting for the bifurcation of Telangana High Court.

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा नहीं होता है, आपने नोटिस नहीं दिया है। It is not like that. नहीं-नहीं, आपका कोई नोटिस नहीं है। ऐसा नहीं होता है, पहले नोटिस देना पड़ता है। आज इंटरोडक्शन लगा हुआ था। आप जरा श्री महताब जी से भी पूछते तो बात समझ में आती।

**श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :** मैडम, मैं श्री महताब जी से पूछ ही रहा था, इतने में आपने बिल इंटरोडयूस कर दिया।

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले नोटिस देना होता है, लिख कर देना होता है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी।

...(व्यवधान)

**विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद):** अध्यक्ष महोदया, मुझे एक बात कहनी है कि पूरे देश के हाई कोर्ट जजेज की सैलरी और सुप्रीम कोर्ट जजेज की सैलरी का मामला है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं जानती हूं। उन्हें अपना प्वाइंट उठाना था, बाकी कुछ नहीं है।

...(व्यवधान)

**श्री रवि शंकर प्रसाद :** आप इस पर परेशान न हों।...(व्यवधान) यह रिवीजन की बात है।

**माननीय अध्यक्ष :** इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Sukhbir Singh Jaunpuria -- Not present

Dr. Shashi Tharoor -- Not Present